



न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़(राज.)

पीठीसीन अधिकारी  
डॉ.अंजली राजोरिया I.A.S.

प्रकरण संख्या  
03 / 2024  
GCMS NO 2023/13

दर्ज दिनांक  
04/09/2024

फैसल दिनांक  
30/10/2024

प्रार्थी

अप्रार्थी / बाकीदार-ऋणी

एक्सिस बैंक लि. जरिये प्राधिकृत अधिकारी बनाम  
प्रार्थ मदान पुत्र श्री प्रमोद मदान

1. मैसर्स विष्णु ट्रेडिंग कम्पनी जरिये  
प्रोपराईटर नरेश कुमार सेवानी पुत्र  
डेलाराम सेवानी, जे-10, कृषि उपज  
मण्डी प्रतापगढ़  
गारण्टर
2. श्री नरेश कुमार सेवानी, पुत्र डेलाराम  
सेवानी निवासी -29 विष्णु विला, जैन  
कॉलोनी, मन्दसौर, म.प्र. 458001

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित  
प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत

उपरिस्थिति :-

श्री जौबिन मैथ्यु अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष

दिनांक :-30/10/2024

:- आदेश :-

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 04.03.2021 को अप्रार्थी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में मैसर्स विष्णु ट्रेडिंग कम्पनी जरिये श्री नरेश कुमार सेवानी पुत्र श्री डेलाराम सेवानी की वाणिज्यिक दुकान गोदाम सहित नंबर जे 10, कृषि उपज मण्डी प्रतापगढ़ के स्वामित्व व आधिपत्य की दुकान जिसका कुल क्षेत्रफल 300 वर्गफीट है जिसके पूर्व में जे-11, पश्चिम में जे -09, उत्तर में रोड, तथा दक्षिण में गली स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्पत्ति का अंग है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रख कर कुल 23,00,000/-अक्षरे तेईस लाख रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 18.05.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गई उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस ईमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

हस्ताक्षर  
जिला कलक्टर  
प्रतापगढ़ (राज.)

127


हस्ताक्षर  
JAIPUR

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया गया। विपक्षी को समन जारी किये गये परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ।

उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।

3. प्रार्थी बैंक द्वारा विपक्षी ऋणी को दिनांक 18.05.2023 को धारा 13(2) का नोटिस रजिस्टर्ड जारी किया गया है। जिसकी अप्रार्थी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई है। धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विपक्षी को सुनने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
4. अप्रार्थी ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में रखी गई में मैसर्स विष्णु ट्रेडिंग कम्पनी जरिये श्री नरेश कुमार सेवानी पुत्र श्री डेलाराम सेवानी की वाणिज्यिक दुकान गोदाम सहित नंबर जे 10, कृषि उपज मण्डी प्रतापगढ़ के स्वामित्व व आधिपत्य की दुकान जिसका कुल क्षेत्रफल 300 वर्गफीट है जिसके पूर्व में जे-11, पश्चिम में जे -09, उत्तर में रोड, तथा दक्षिण में गली स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्पत्ति का अंग है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो।
5. आदेश आज दिनांक 30/10/2024 को सरे ईजलास सुनाया गया।



  
(~~डॉ.~~अंजली राजोरिया)  
जिला कलक्टर,  
प्रतापगढ़

निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है

1. जिला पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़
2. एक्सिस बैंक लि. जरिये प्राधिकृत अधिकारी प्रार्थ मदान पुत्र श्री प्रमोद मदान
3. मैसर्स विष्णु ट्रेडिंग कम्पनी जरिये प्रोपराईटर नरेश कुमार सेवानी पुत्र डेलाराम सेवानी, कृषि उपज मण्डी प्रतापगढ़

